न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.
राजस्व अपील संख्या : 09/2020 GCMS No2020/00167
दायरा तिथि : 24.12.2020
फैसला तिथि 19-07.2021

अपीलान्टः–

1. धनराज पुत्र मंशारामजी
2. फाऊलाल पुत्र मंशारामजी
3. जगदीश पुत्र मंशारामजी जातिगण ब्राहमण
   निवासीगण भन्दर बाली तहसील बाली जिला पाली (राज0)

बनाम

रेस्पोडेन्टस :–

1. जसराज पुत्र लकमाजी जाति ब्राहमण
   निवासी भन्दर तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
2. सरपंच ग्राम पंचायत भन्दर पंचायत समिति बाली
3. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थितिः–

1. श्री ओम दवे अधिवक्ता.............................. अपीलान्ट्स की ओर से
2. रेस्पोडेन्ट सं 01.............................. स्वयं व्यक्तिशः उपस्थित।

दिनांक 19-07.2021

–:: आदेश ::–

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। अपीलान्ट्स ने उक्त अपील ग्राम भंदर के नामान्तरकरण संख्या 835 दिनांक 20.02.2001 से व्यथित होकर उक्त अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व रेस्पोडेन्ट्स पेश की। अपीलान्ट ने अपील में वर्णित किया गया कि अपीलान्ट की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि ग्राम भंदर में स्थित है, जिसके खसरा नंबर 1216 रकबा 0.35 हैक्टर व खसरा नंबर 1217 रकबा 0.35 हैक्टर कुल खसरा–02 कुल रकबा 0.70 हैक्टर में अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा निहित था, कुल रकबे मेंसे 1/3 हिस्से की भूमि मेंसे अपीलान्ट ने दिनांक 13.12.2000 को रेस्पोडेन्ट संख्या–01 को रकबा 0.08954 हैक्टर का बेचान किया। बेचान रजिस्ट्री के आधार पर खरीदकर्ता के नाम राजस्व कर्मियों द्वारा नामान्तरकरण संख्या 835 भरते समय बेचान रजिस्ट्री अनुसार नामान्तरकरण दर्ज नहीं कर त्रुटिपुर्ण रूप से दर्ज कर दिया, जिस नामान्तरकरण संख्या 835 को सरपंच ग्राम पंचायत भन्दर ने दिनांक 20.02.2001 को स्वीकृत कर दिया। उक्त नामान्तरकरण में खरीदकर्ता का रकबा 0.08954 हैक्टर पृथक दर्शा दिया एवं शेष **प्रविष्टि को यथावत रखते हुये धनराज फाऊलाल जगदीश पि0 मंसाराम कौम ब्राहमण बाबुलाल वल्द शंकरलाल कन्हैयालाल वल्द शंकरलाल कौम ब्राहमण सा.देह खातेदार** दर्ज कर दिया। नियमानुसार पटवारी हल्का को खसरा नंबर 1216 व 1217 कुल रकबा 0.70 हैक्टर में खरीदकर्ता तथा शेष खातेदार जो पुर्व में रेकर्ड में दर्ज थे, बेचान के पश्चात् प्रत्येक सह खातेदार के कुल रकबा 0.70 हैक्टर में कितनी भूमि रही इसका खुलासा विवादास्प्रद नामान्तरकरण में दर्शित करना था। अपीलान्ट ने उक्त नामान्तरकरण को दोषपुर्ण बताते हुये उक्त अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने की मांग की गई। अपीलान्ट के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 835 में प्रत्येक सह खातेदार का स्पष्ट खुलासा करते हुये खसरा नंबर 1216 व 1217 कुल रकबा 0.70 हैक्टर में निम्नानुसार इन्द्राज करना थाः–

1.	जसराज पुत्र लकमाराम (खरीदकर्ता)	0.089535 हैक्टर
2.	धनराज,फाऊलाल,जगदीश पि. मंशाराम	0.142465 हैक्टर
3.	बाबुलाल, कन्हैयालाल पि. शंकरलाल	0.468000 हैक्टर
		0.70 हैक्टर

अपीलान्ट ने विवादास्प्रद नामान्तरकरण संख्या 835 स्वीकृति दिनांक 20.02.2001 दोषपुर्ण होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया। अपीलान्ट ने अपील के समर्थन में नामान्तरकरण संख्या 835 दिनांक 20.02.2001 की प्रमाणित प्रति, बेचान रजिस्ट्री दिनांक 13.12.2000 की फोटो प्रति, नक्शा मौका जो रजिस्ट्री के साथ पेश किया उसकी फाटो प्रति, सेगीग्रेशन के बाद की भंदर के खसरा नंबर 1216 व 1217 की कम्प्युटराईज्ड जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 की प्रति पेश की।

प्रस्तुत अपील में रेस्पोडेन्ट्स को सम्मन जारी किये जाने पर दिनांक 15.07.2021 को रेस्पोडेन्ट संख्या–01 श्री जसराज पुत्र लकमाराम ने व्यक्तिशः उपस्थित होकर निवेदन किया कि उसके द्वारा दिनांक 13.12.2000 को खसरा नंबर 1216 मेंसे 0.05231 हैक्टर व खसरा नंबर 1217 मेंसे 0.037304 हैक्टर कुल रकबा 0.08954 हैक्टर खरीद किया था। वर्तमान जमाबंदी में रेस्पोडेन्ट संख्या–01 का 1/3 हिस्सा गलत इन्द्राज किया हैं। वास्तविक रूप से धनराज, फाऊलाल जगदीश पुत्र मन्साराम का 1/3 हिस्सा व उसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 01 संयुक्त इन्द्राज होना चाहिये था।

पेज लगातार.........02

Scanned with CamScanner

राजस्व अपील संख्या : 09/2020 GCMS No2020/00167

अनवान धनराज वगैरा बनाम जसराज वगैरा

<u>*अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956*</u>

प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या–01 द्वारा अपने जबाव में सहमति व्यक्त करने से वकील अपीलान्ट श्री ओमदवे की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण में यह ज्ञात तथ्य हैं कि पटवारी हल्का, भन्दर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 835 दर्ज करते समय बेचान रजिस्ट्री दिनांक 13.12.2000 के अनुसार खरीदकर्ता के खरीदकर्ता रकबा 0.08954 हैक्टर का खुलासा कर दिया, परन्तु शेष बचे रकबे का स्पष्टीकरण नहीं किये जाने अब सेग्रीगेशन की जमाबंदी में भी त्रुटिपुर्ण इन्द्राज हो गया है। अब खरीदकर्ता भी अपील को स्वीकार करता है, तथा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या–01 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा स्वीकार करता है।

अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाती हैं। ग्राम भन्दर के खसरा नंबर 1216 व 1217 रकबा 0.70 हैक्टर के संबध में दाखिल व स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 835 स्वीकृति दिनांक 20.02.2001 निरस्त किया जाता हैं। पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरकरण संख्या 835 दिनांक 20.02.2001 की सत्यापित प्रति आदेश के साथ तहसीलदार, बाली को भेजकर निर्देश दिये जाते है कि आदेश की पालना में माफिक बेचान रजिस्ट्री नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही करे। तथा उक्त नामान्तरकरण की त्रुटि की वजह से सेग्रीगेशन के दौरान् बनी जमाबंदी में दर्ज हिस्सा कस्सी को भी नियमानुसार शुद्ध किये जाने की कार्यवाही कर पालना सुनिश्चित करे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उप-खण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

आदेश आज दिनांक 15-07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, बाली

उप-खण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner